

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 306]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 जून 2018 ज्येष्ठ 16, शक 1940

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जून 2018

क्र. एफ-2-203-2011-बारह-एक.—खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 17ए की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के अनुमोदन से एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार सतना जिले के ग्राम तामर एवं किरकिरान के 21.00 हेक्टेयर का क्षेत्र, दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में, बाक्सईट खनिज के खनन हेतु खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 17ए की उपधारा 2(ए), 2 (बी) एवं 2(सी) के उपबंधों के अधधीन रहते हुए आरक्षित करती है:—

अनुसूची

क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)	खसरा क्रमांक (3)	रकबा (हे. में.) (4)
1	तामर	3	18.630
2	किरकिरान	7	2.370
कुल रकबा . . .			21.000

Bhopal, the 6th June 2018

No F-2-203-2011-XII-1.-In exercise of the power conferred under sub-section (2) of Section 17A of the Mines and Mineral (Development and Regulation) Act, 1957, (No. 67 of 1957), the State Government with the approval of the Central Government hereby, reserves an area of 21.000 hectare of village Tamar and Kirkiran, District -Satna, as specified in the Schedule given below, in favor of the Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, for mining of mineral Bauxite, subject to the provisions of sub-section (2A), (2B) and (2C) of Section 17A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957:—

SCHEDULE

Sr.No. (1)	Name of Village (2)	Khasara No. (3)	Area in Ha. (4)
1	Tamar	3	18.630
2	Kirkiran	7	2.370
Total . .			21.000

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश कुमार श्रीवास्तव, उपसचिव.